रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3585] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 2, 2019/कार्तिक 11, 1941
No. 3585] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 2, 2019/KARTIKA 11, 1941

गृह मंत्रालय

(जम्मू, कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2019

का.आ. 3979(अ).—जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) को राष्ट्रपति की अनुमति 09 अगस्त, 2019 को प्राप्त हो गई थी और इसे उसी दिन राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया था;

और, 31 अक्तूबर, 2019 की तारीख, मूल अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए नियत दिवस के रूप में अधिसूचित की गई है;

और, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य का जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में पुनर्गठन का उपबंध करने के लिए मूल अधिनियम अधिनियमित किया गया था;

और, मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (ङ) "विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य" को 'नियत दिवस से ठीक पूर्व यथाविद्यमान कश्मीर राज्य, जो भारतीय जम्मू-कश्मीर राज्य में भारत के संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्व राज्यक्षेत्र से मिलकर बना है' परिभाषित करती है';

और, मूल अधिनियम की धारा 3 यह उपबंध करती है कि नियत दिवस से ही, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के "कारगिल और लेह जिलों" के राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं;

और भारत के संविधान के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों, मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (ङ) और धारा 3 तथा भौगोलिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मूल अधिनियम में लेह जिले के घटकों को स्पष्ट करना आवश्यक है;

और मूल अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को प्रभावी करने में पूर्वोक्त कठिनाई उत्पन्न हुई है;

अत: अब, राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर करना) दूसरा आदेश, 2019 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. लेह जिले के राज्यक्षेत्र—जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट लेह जिले के राज्यक्षेत्र में विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के निम्नलिखित जिले सम्मिलित होंगे, अर्थात्:--

"गिलगिट, गिलगिट वज़ारत, चिलास, जनजातीय राज्यक्षेत्र और 'लेह और लद्दाख' कारगिल के वर्तमान राज्यक्षेत्र के सिवाय"।

राम नाथ कोविन्द
राष्ट्रपति

नई दिल्ली,
तारीख : 2 नवम्बर, 2019

[फा. सं. 11014/05/2014-के-I]
अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs)

ORDER

New Delhi, the 2nd November, 2019

S.O. 3979(E).—WHEREAS, the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) (hereinafter referred to as the principal Act) received the assent of the President on the 9th day of August, 2019 and notified in the Official Gazette on the same day;

AND WHEREAS, the 31st day of October, 2019 has been notified as the appointed day for all purposes of the principal Act;

AND WHEREAS, the principal Act was enacted to provide for reorganisation of the existing State of Jammu and Kashmir into the Union territory of Jammu and Kashmir and the Union territory of Ladakh;

AND WHEREAS, clause *(e)* of section 2 of the principal Act defines the "existing State of Jammu and Kashmir" as the 'State of Jammu and Kashmir as existing immediately before the appointed day, comprising the territory immediately before the commencement of the Constitution of India in the Indian State of Jammu and Kashmir';

AND WHEREAS, section 3 of the principal Act provides that on and from the appointed day, the Union territory of Ladakh comprises the territories of "Kargil and Leh districts" of the existing State of Jammu and Kashmir;

AND WHEREAS, in view of the records of Survey of India existing before the commencement of the Constitution of India, clause *(e)* of section 2 and section 3 of the principal Act and the geographical aspects, there is a need to clarify the constituents of Leh district in the principal Act;

AND WHEREAS, the aforementioned difficulty has arisen in giving effect to various provisions of the principal Act;

IndiaCode

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 103 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, the President, hereby makes the following Order, namely: –

1. Short title and commencement.—*(1)* This Order may be called the Jammu and Kashmir Reorganisation (Removal of Difficulties) Second Order, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Territories of Leh district.—The territory of Leh district specified in section 3 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 shall constitute the following districts of the existing State of Jammu and Kashmir, namely: –

"Gilgit, Gilgit Wazarat, Chilas, Tribal territory and 'Leh and Ladakh' except present territory of Kargil".

New Delhi RAM NATH KOVIND

2nd November, 2019. *President*

———

[F. No. 11014/05/2014-K-I]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.02 13:16:23 +05'30'